तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

04.12.2025

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी व मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण मे बहस सुने एक माह से भी अधिक का समय हो चुका है। अतः प्रकरण मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी व मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर पुनः बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी व मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हेतु पत्रावली दिनांक 05.12.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

05.12.2025

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी व मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी व मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी थी। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि [illegible] द्वारा चाहा गया रास्ता पूर्णतया विधि विरुद्ध है। [illegible] स्वंय की भूमि खसरा नम्बर 93/1546 [illegible] अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 924 व 929 की पूर्वी [illegible] में से उत्तर दक्षिण रास्ता चाहा गया है जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमियों के बीच में खसरा नम्बर 923 के खातेदारान् को प्रार्थना पत्र में ना तो पक्षकार बनाया है एंव ना ही इनके विरुद्ध रास्ते बाबत कोई ईस्तदुआ चाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.30 12:20:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

प्रार्थना पत्र 251 PM

है। ऐसी सूरत में खसरा नम्बर 923 में से रास्ते के बिना कानूनन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के लिए उनकी भूमि के उत्तर दिशा से रास्ता मौजूद है। जिसको प्रार्थीगण ने छुपाये जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार करते हुए मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वही दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि मौके पर भूमि खसरा नम्बर 924 व 929 के खातेदारों द्वारा ही रास्ते में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था। मौके पर भूमि खसरा नम्बर 923 के खातेदारों द्वारा कभी भी कोई रूकावट या बाधा कारित नहीं की गई है। इस कारण वरवक्त दायरी प्रार्थना पत्र उक्त भूमि खसरा नम्बर 923 की खातेदारों से कोई रूकावट आदि पैदा नहीं करने की स्थिति में उन्हे बेवजह पक्षकार नहीं बनाया गया है। खसरा नम्बर 923 को प्रार्थीगण संख्या 1 से 3, 7 द्वारा ही शुरू से काश्त किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पर सगौर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 923 में से प्रार्थीगण के द्वारा कोई रास्ता नहीं चाहने तथा अपनी भूमि खसरा नम्बर 93/1545 व 93/1546 तक अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 924 व 929 की पूर्वी सीमा में से उत्तर दक्षिण रास्ता चाहा गया है। जबकि इन नम्बरों के बीच में एक दूसरा नम्बर 923 भी पड़ती है। जिसमें से प्रार्थीगण के द्वारा कोई रास्ता नहीं चाहा गया है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 923 में से रास्ता नहीं चाहने के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने केवल मात्र यह कथन किया है कि मौके पर भूमि खसरा नम्बर 923 के खातेदारों ने कोई रूकावट आदि पैदा नहीं की है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.30 12:20:07 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

उक्त रास्ता किस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 923 में बिना रास्ता चाह एक रास्ते से दूसरे रास्ते को जोड़ेगा। केवल मात्र भूमि खसरा नम्बर 923 के खातेदारान् द्वारा मौके पर रूकावट पैदा नहीं करने से रिकार्ड पर रास्ता प्राप्त नहीं हो सकता है।

प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण ने भी अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी में भी भूमि खसरा नम्बर 923 में से रास्ता नहीं चाहने पर प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट के नियमों के अन्तर्गत नहीं आने से पोषणीय नहीं होना अंकित किया है। जहाँ तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट में पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी केवल मात्र वादपत्रों पर ही लागू होता है। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रार्थना पत्रों पर लागू नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एंव राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा कृषि यन्त्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम ... के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। ...गण ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 93/1545 व 93/1546 तक अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 924 व 929 की पूर्वी सीमा में से उत्तर – दक्षिण रास्ता चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.30 12:20:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible]	

जबकि इन नम्बरों के बीच में एक अन्य भूमि खसरा नम्बर 923 की भूमि भी पड़ती है। जिसमें से प्रार्थीगण के द्वारा कोई रास्ता नहीं चाहा गया है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 923 में से रास्ता नहीं चाहने के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने केवल मात्र यह कथन किया है कि मौके पर भूमि खसरा नम्बर 923 के खातेदारों ने कोई रूकावट आदि पैदा नहीं की है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया उक्त रास्ता किस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 923 में बिना रास्ता चाहे एक रास्ते से दूसरे रास्ते को जोड़ेगा। केवल मात्र भूमि खसरा नम्बर 923 के खातेदारान् द्वारा मौके पर रूकावट पैदा नहीं करने से रिकार्ड पर रास्ता प्राप्त नहीं हो सकता है। साथ ही प्रार्थी का यह कथन है कि भूमि खसरा नम्बर 924 व 929 के खातेदारों द्वारा ही रास्ते में अवरोध उत्पन्न किया गया है। इसलिए केवल इन्ही के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट लाया गया है लेकिन रास्ते के अवरोध के कारण रास्ता चाहना अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट के तहत कवर नहीं होता है बल्कि प्रचलित रास्ते में किसी खातेदार ने कोई अवरोध उत्पन्न किया है तो प्रार्थी को अन्तर्गत धारा 251 आर. टी. एक्ट के तहत तहसीलदार के यहाँ प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत कृषि भूमि खसरा नम्बर 115, 116, 117, 24, 26/2, 93, 93/1545 व 93/1546, 94 कुल किता 9 कुल रकबा 6.62 हैक्टर तन् ग्राम खन्नीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 924 व 929 की पूर्वी सीमा में से उत्तर – दक्षिण रास्ता चाहा गया है। जबकि इन नम्बरों के बीच में एक अन्य भूमि खसरा नम्बर 923 की भूमि अवस्थित होने से तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 923 में से रास्ता नहीं चाहने तथा रास्ते से रास्ते के नहीं जुड़ने के तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत कवर नहीं होने से प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.30 12:20:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

अधिनियम–1955 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी व मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.30 12:20:07 IST
Reason: SelfAttested